

2/10/2022

पी.ओ. महोदय के अन्य राजकार्य में व्यस्त हो जाने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व आदेश की पालना होकर पत्रावली दिनांक 4.11.2022 को पेश हो।

18/11  
संख्या  
जिला कलेक्टर, रोहतास

4/11/2022

बिल्वरानी 10.11.2022

अपीलान्ट किरण देवी व लक्ष्मी देवी एवं उपस्थित अधिवक्ता अर्थात् सं-01 व 02 उपस्थित राजकीय अधिवक्ता उपस्थित अपीलान्ट अथवा प्राथम प्रस्तुत कर अपगत कसबा कि अपीलान्ट व रेसर्च सं-01 तथा 06 के मध्य लिखित न्यायालय में राजीनामा हो चुका है। अब अपीलान्ट इस अपील को अग्रे नहीं चलाया चाहते हैं। अतः अपील निरस्त करवाई जायेगी अधिवक्ता अर्थात् सं-01 व 02 तथा राजकीय अधिवक्ता से अपील रद्द किया जाने के कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। पत्रावली का शपथोक्त किया। अपीलान्ट अपील को अग्रे नहीं चलाया चाहते हैं। अतः प्रथम नोट प्रेस में रद्द किया जाता है। अर्थात् न्यायालय का मूल अपील रद्द हो गया जाये। पत्रावली फंसल थुमार सेक्रेटरी से कर हो। बाद पत्रावली प्रेषित कर भेजा हो। उप न्यायालय सुनाया गया।

18/11  
संख्या  
10-  
अपील  
जिला  
कलेक्टर



जिला कलेक्टर  
रोहतास